

समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-:आदेश:-

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलाअन्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञापितधारियों को अपने-अपने शस्त्र अनुज्ञापित एवं उसपर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन /बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 14-10-2013 एवं 15-10-2013 का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञापितधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके बावजूद भी श्री आशुतोष कुमार, पिता- श्री अखिलेश्वर प्रसाद, सा0- शेषम्बा, थाना- सकुराबाद, जिला- जहानाबाद, द्वारा-श्री आर0पी0वर्मा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा द्वारा शस्त्र अनुज्ञापित का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 46/श0, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली- 1962 के नियम -63 एवं अग्नेयास्त्र अनुज्ञापित की शर्त- 9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञापित संख्या- 07/2000 (मधेपुरा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञापितधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था। उल्लेखनीय है कि श्री आशुतोष कुमार, पिता- श्री अखिलेश्वर प्रसाद, सा0- शेषम्बा, थाना- सकुराबाद, जिला- जहानाबाद, द्वारा-श्री आर0पी0वर्मा को प्राप्त दो नाली बन्दूक अनुज्ञापित संख्या- 07/2000 (मधेपुरा थाना) पर शस्त्र धारित नहीं है। अनुज्ञापितधारी, पूछे गए कारण पूछा जा जवाब या अपना वचाव पक्ष भी समर्पित नहीं किया गया है, जो अनुज्ञापन पदाधिकारी के निदेश अवज्ञा, मनमानेपन एवं उदासीनता का द्योतक है, जो अनुज्ञापन शर्तों का उल्लंघन है। पिछले 14 वर्षों में शस्त्र नहीं खरीदना दर्शाता है कि अनुज्ञापितधारी को शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है एवं न ही जान माल का खतरा है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञापित शर्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञापितधारी के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञापित संख्या- 07/2000 (मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है। अनुज्ञापितधारी श्री आशुतोष कुमार, पिता- श्री अखिलेश्वर प्रसाद, सा0- शेषम्बा, थाना- सकुराबाद, जिला- जहानाबाद, द्वारा-श्री आर0पी0वर्मा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना अनुज्ञापित पुस्त (मूल) जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे मो0 शमशाद अहमद द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञापित पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संघारित मूल अनुज्ञापित पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....136...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....28/3/14.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री आशुतोष कुमार, पिता- श्री अखिलेश्वर प्रसाद, सा0- शेषम्बा, थाना- सकुराबाद, जिला- जहानाबाद, द्वारा-श्री आर0पी0वर्मा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

28/3/14  
जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।